न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 23/23 दायरा दिनांक 08.11.2023

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

लालचन्द पुत्र रूपा उम्र 75 वर्ष जाति जाटव निवासी ग्राम सेमलीफाटक तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

–अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक – 13.06.2024

उपस्थित– प्रार्थी की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट
अप्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी जाटव अनुसूचित जाति को ग्राम सेमलीफाटक पटवार हल्का सेमलीफाटक तहसील शाहावाद स्थित आराजी खसरा संख्या 651 रकबा 10.00 बीघा भूमि दिनांक 01.08.1969 को विधिवत आवंटन की जाकर नामान्तरकरण संख्या 204 से अमल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2030–33 में किया गया है तभी से प्रार्थी उक्त भूमि पर वहेसियत मालिक काबिज हो निरंतर काश्त करता चला आ रहा है। रोटेशन जमाबंदी 2034–37 में उक्त भूमि का रकबा 10.00 बीघा के स्थान पर लिपिकीय त्रुटिवश 1.05 बीघा दर्ज कर दिया गया, इस गलत इन्द्राज से प्रार्थी की 8.15 बीघा भूमि खाते से कम हो गई, जिसे प्रार्थी दुरूस्त कराने का वैधानिक हकदार है। प्रार्थी ने दुरूस्ती हेतु अप्रार्थी को आवेदन किया तो अप्रार्थी ने खसरा संख्या 651 में मात्र 7.00 बीघा भूमि सिवायचक बंजड के रूप में दर्ज होना बताया और जब प्रार्थी ने उक्त 7.00 बीघा भूमि को प्रार्थी के नाम दर्ज करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने इनकार कर प्रार्थी को श्रीमान न्यायालय से आदेश लाने को कहा । अतः प्रार्थना है कि आवंटन आदेश दिनांक 01.08.1969 की पालना में दर्ज नामान्तरकरण 204 तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2030–33 में दर्ज इन्द्राज के अनुक्रम में प्रार्थी के खाते में आराजी खसरा संख्या 651 रकबा 1.05 बीघा गलत इन्द्राज को दुरस्त कर 10.00 बीघा दर्ज करने के सादर आदेश पारित फरमावें, चूंकि वर्तमान जमाबंदी में खसरा संख्या 651 का सिवायचक रकबा 7.00 बीघा शेष है, इस कारण इस 7.00 बीघा को मिलाकर कुल 8.05 बीघा रकबा प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने के सादर आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से जबाव पेश नहीं किये जाने पर जबाव बंद किया जाकर वहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड से ग्राम सेमलीफाटक तहसील शाहावाद स्थित आराजी खसरा संख्या 651 रकबा 10.00

13/06/2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

बीघा दिनांक 01.08.69 को प्रार्थी के नाम आवंटन होना तथा नामान्तरकरण नंबर 204 के जरिये राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2030–33 में अमल होना साबित है, परन्तु रोटेशन जमाबंदी 2034–37 में रकबा 10.00 बीघा के स्थान पर मात्र 1.05 बीघा दर्ज किया जाना त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, जिसे प्रार्थी दुरूस्त कराने का हकदार है। प्रार्थी का कथन है कि वर्तमान जमाबंदी में खसरा संख्या 651 का रकबा 7.00 बीघा किस्म बंजड शेष है, जो संलग्न जमाबंदी 2071–74 में दर्ज है, जिसे प्रार्थी के नाम दर्ज कर दिया जावे प्रार्थी इससे संतुष्ट है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सेमलीफाटक तहसील शाहावाद राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के खाता संख्या 1 में दर्ज आराजी खसरा संख्या 651 रकबा 7.00 बीघा किस्म बंजड को प्रार्थी के खाते दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को नियमानुसार तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

13/6/2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद